तथा चुंगी और अन्य पड़ताल चौकियों अन्तर्राज्यीय यातायात के सुप्रवाह में मुख्य बाधायें हैं। संविधान के अन्तर्गत, मोटर परिवहन संबंधी कार्यकारी जिम्मेदारी, राज्य सरकारों की है। मोटर गाड़ियो और उनमें ले जाए जाने वाली माल और यात्रियो पर कराधान, राज्य सरकारों के क्षेत्र मे आता है।

अन्तर्राज्यीय यातायात के सुप्रवाह में विभिन्न बाधाओं को दूर करने हेतु अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग ने इकहरे कर के भुगतान के आधार पर और परमिटों पर प्रतिहस्ताक्षर किये बिना सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमागो पर अपने अपने क्षेत्रो के अन्दर माल गाड़ियो के निर्बाध रूप से आने जाने के लिए क्षेत्रीय परमिट योजनाओं अर्थात दक्षिणी, पश्चिमी उत्तरी केन्द्रीय और पूर्वी योजनाये शुरू की हैं। इन में से दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र परमिट योजनाऐं क्रमशः 1 जनवरी, 1967, 1 जनवरी, 1973 और 1 जनवरी, 1974 से पहले ही से चालू है।

चुंगी समाप्त करना भी राज्य सरकारो के क्षेत्राधिकार में है। इस बारे में, सड़क परिवहन कराधान जाच समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से आग्रह कर रही है। परन्तु चुंगी की समाप्ति, राज्य सरकारों द्वारा दूसरे स्वीकार्य करों के ढूढ़ने पर आधारित है।

Proposal for talks with Pakistan on overflights

463. SHRI Y. ESWARA REDDY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Pakistan has not responded to the Government's communication inviting her to send a team for talks on overflights; and

(b) if so, the facts thereabout and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS): (a) In response to Government's earlier communication to Pakistan suggesting commencement of bilateral talks regarding the 1971 case pending before I.C.A.O. and on resumption of air links including overflights in accordance with the Simla Agreement, Pakistan has now agreed to have talks in Islamabad in the second half of this month.

(b) An Indian delegation is likely to visit Islamabad accordingly around the 17th of November.

India's help for famine-stricken Bangladesh people

464. SHRI G Y. KRISHNAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state the nature and extent of Indias help to feed the hungry people of Bangladesh where 70,000 to 80,000 people are said to have died of hunger in Rangpur District alone?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI BIPINPAL DAS): We have received no such report or request for assistance from Bangladesh.

Representation by Federation of Associations of Small Industries for higher rates of supply contracts

465. SHRI TRIDIB CHAUDHURI: Will the Minister of SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Federation of Associations of Small Scale Industries and its various State Branches about the difficulty faced by their constituents owing to the reluctance of the Directorate of Supplies and Disposals to sanction higher rates for legitimate escalation of raw material prices for the execution of supply contracts tendered by them; and

(b) if so, the decision of the Government thereon?

THE MINISTER OF SUPPLY & REHABILITATION (SHRI R. K KHADILKAR): (a) Representations have been received from the Federation of Associations of Small Scale Industries of India for sanctioning price escalation in firm price contracts concluded by the Directorate General of Supplies and Disposals.

(b) Though contractually and legally not admissible, it has been decided to consider individual cases of genuine hardship for *ex-gratis* relief on merits

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को अन्य नगरों में लागू किया जाना

466. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आने वाले प्रति परिवार खर्च की तुलना में प्रतिपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत आने वाला प्रति परिवार खर्च अधिक है और यदि हां, तो वर्ष 1970,71 और 1972 में इस अन्तर की प्रतिशतता क्या थी,

(ख) क्या सरकार उन सभी नगरों में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं उपलब्ध करायेगी जहां सरकारी कर्मचारियों की संख्या पांच हजार से अधिक है; और

(ग) क्या भूतपूर्व संसद् सदस्यों को भी यह सुविधा उपलब्ध कराये जाने का विचार है, और यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक): (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होने वाले खर्च और केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली के अन्तर्गत होने वाले खर्च का अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया गया है । केवल कुछ चुनींदा शहरों के बारे में निर्धारित अवधि के लिए एक नमूना-सर्वेक्षण किया गया । यह सूचना संसद् को भेज दी गई थी और पांचवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति की 57वीं रिपोर्ट (1973-74) में प्रकाशित कर दिया गया था ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना उन शहरों में, जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या 7 000 है क्रमिक रूप में लागू की जाएगी बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

(ग) संसाधनों की कमी के कारण भूतपूर्व संसद् सदस्यों को केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया जा सक रहा है । फिर भी यदि वे चाहें तो वे उन खास खास औषधालयों में आम जनता की तरह इस योजना में शामिल हो सकते हैं जहां इसकी सुविधा उपलब्ध है ।

चीन द्वारा सुदूर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण

467. **श्री तारकेश्वर पांडे :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका ध्यान हाल ही में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चीन शीघ्र ही सुदूर मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण करने वाला है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन कर सकेंगे तथा इसका सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जायेंगे,

(ख) क्या हमारे रक्षा वैज्ञानिक प्रक्षेपणास्त्र बनाने की क्षमता रखते हैं, और

(ग) यदि हां, तो इसका कब तक परीक्षण किये जाने की सम्भावना है ?